

## वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— Procurement of Equipment (F.P.) IUD Insertion Kit

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या – B.16.1.3C

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण – परिवार नियोजन कार्यक्रम में वांछित उपलब्धि हेतु जिला स्तर पर अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर IUD Camp में तथा प्रतिदिन IUD लगाने हेतु IUD Insertion किट का प्रावधान किया गया है। जिले में Cu-T 380A उपलब्ध है जो दस वर्षों के लिए प्रभावी है। प्रत्येक प्रा०स्वा०के० पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में न्यूनतम प्रत्येक त्रैमासिक में 1 Mega IUD Camps तथा जिला स्तर पर भी एक Mega कैम्प का आयोजन किया जाना है।

इकाई राशि (रु० में)– 15000/kit/dist

अर्थात् IUD Insertion Kit/District के दर से 38 जिलों हेतु Kit का क्रय किया जाना है।

वित्तीय दिशा निर्देशन—

- Procurement की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राज्य स्तर पर सम्पन्न की जायेगी। तत्पश्चात् जिलों को पत्र के माध्यम से क्रय हेतु सूचित किया जायेगा।
- किट में निम्नलिखित सामग्री एवं दवाईयां उपलब्ध होगी है –

**List of IUD Insertion Kit** (refer page No 33 (6.2) –In IUCD Reference Manual for Medical Officers (MOH&FW, GOI, www.mohfw.nic.in))

1. Examination table with clean cover
2. Linen/cloth to cover the woman's pelvic area
3. Cheatle's forceps
4. Sponge holding forceps
5. Sim's/Cusco's speculum
6. Anterior vaginal wall retractor
7. Volsellum Allis forceps
8. Uterine sound
9. Long Sharp cutting Scissors (Preferable curved 7-8" long)
10. Long artery straight forceps (for IUCD removal)
11. Kidney tray
12. Stainless Steel (SS0 tray with cover
13. Gloves (high-level disinfected surgical gloves or examination gloves)
14. Dry gauze or cotton swabs
15. Stainless Steel Bowls-2
16. Antiseptic solution (Chorhexidine or povidone iodine)
17. Plastic bucket for decontamination
18. Autoclave/sterilizer/Boiler/Container with lid for boiling
19. Light source sufficient to visualize cervix (e.g., flashlight)
20. IUCD (in an unopened, undamaged, sterile package that is not beyond its expiry date and has been stored in a cool dry place.)

उपरोक्त के संदर्भ में विस्तारित निर्देशिका पत्र के माध्यम से सभी जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल  
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017 / 9431005971